<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क-343 / 2013</u> संस्थित दिनांक-10.10.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

विरुद्ध

- 1. दयाराम पुत्र किशोर ढीमर आयु 50 साल
- राजू पुत्र असुददी ढीमर आयु 26 साल निवासीगण ग्राम नानकपुर जिला अशोकनगर म0प्र0

..... अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 04.04.2018 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 324 / 34, 506बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08.07.2013 को समय रात्री 08:00 बजे काशीराम ढीमर के मकान के सामने ग्राम नानकपुर अंतर्गत थाना चंदेरी में आपने फरियादी जीवन सिंह को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी जीवन सिंह को मारपीट का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में असन व बेदन उपकरण से फरियादी की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित किया व उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—08.07.2013 को रात करीब 08:00 बजे कुआं में सर्प के मर जाने के कारण फरियादी जीवन सिंह दयाराम से कुंआ का पानी साफ करने के लिये गया था। तो दयाराम ने इसी बात पर जीवन सिंह को मां बहन की गालियां दी। गालियां देने से मना किया तो राजू ढीमर ने उसके सिर में लुहांगी मारी चोट आकर खून निकल आया। एक लुहांगी और मारी जो बाये हाथ के दडा में लगी, मुंदी चोट आई। मौके पर उपस्थित राजपाल और जण्डेल ने बीच बचाव किया। दोनों जाते समय कहने लगे कि यदि रिपोर्ट करने गया, तो मादरचोद जान से खत्म कर देंगे। फरियादी जीवन सिंह द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक—244/2013 अंतर्गत धारा—294, 323, 324, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष हैं उन्हें झूटा फंसाया गया है।

04- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1.	क्या अभियुक्तगण दिनांक 08.07.2013 को समय रात्री 08 बजे काशीराम ढीमर के मकान के सामने ग्राम नानकपुर अंतर्गत थाना चंदेरी में फरियादी जीवन सिंह को मारपीट का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में असन व बेदन उपकरण से फरियादी की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित किया ?
2.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व लेाक स्थान पर फरियादी जीवन सिंह को मां—बहन की बुरी—बुरी अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
3.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी जीवन को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया ?
4.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

<u>—ः: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

विचारणीय प्रश्न कमांक-01 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

05—फरियादी जीवन सिंह (अ०सा०—02) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना उसके कथन देने के दिनांक से तीन साल पूर्व की होकर सावन के महीने की है तथा उस समय शाम के 06:00 बजे थे। जीवन सिंह (अ०सा0—02) का कहना है कि अभियुक्त दयाराम के बच्चे ने कुंयें में सांप मार दिया था, जिस पर गांव वालों ने दयाराम से कुंए सांप निकालने से और पानी साफ करने का कहा था तो दयाराम ने उनका कहना नहीं सुना, जिस पर गांव के पंच जुड़े थे और पंचों ने उससे दयाराम को बुलाकर लाने का कहा था। फरियादी जीवन सिंह (अ०सा0—02) के अनुसार जब वह दयाराम को बुलाने के लिये उसके मकान पर गया, तो दयाराम ने उसे मां की गाली दी और कहा कि तुम मेरे द्वारे पर कैसे आये हो तथा दयाराम के भतीजे राजू ने उसके सिर में लाठी मार दी, जिससे सिर में सात टांके आये थे।

- 06—जीवन सिंह (अ0सा0—02) के द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.—01 लेखबद्ध कराना तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी जीवन सिंह (अ0सा0—02) के न्यायालय में दिये गये कथन की वह पंचों के कहने पर दयाराम के पास कुएें से सांप निकालने व पानी साफ करने का कहने गया था, इस बात का उल्लेख नही हैं, परन्तु अभियुक्तगण के द्वारा मुख्य रूप से फरियादी के यह कहने पर की कुएें में सर्प मर जाने के कारण साफ कुएें का पानी साफ करने का कहने पर अभियुक्तगण ने उन्ही के घर के सामने फरियादी से विवाद किया था, इस संबंध में फरियादी जीवन सिंह (अ0सा0—02) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.—01 से होती है।
- 07—जीवन सिंह (अ0सा0—02) ने अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका—02 में यह स्पष्ट किया है कि वह दयाराम से यह कहने गया था, कि कुएं से पानी निकाल लो मरा हुआ सांप तो गावं वालों ने निकाल लिया था तथा रिपोर्ट के बाद गांव वालों के कहने पर कुएं की साफ सफाई दयाराम ने ही करवाई थी। घटना के अन्य साक्षी राजपाल (अ0सा0—03) ने हांलांकि अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है, परन्तु इस साक्षी ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका—02 में फरियादी जीवन सिंह (अ0सा0—02) के साथ अभियुक्तगण के द्वारा घटना घटित करने के कारण की पुष्टि करते हुये कथन दिये है कि सांप कुएं में गिर गया था, तो इस बात को लेकर झगडा हुआ था।
- 08—अतः जीवन सिंह (अ0सा0—02) के द्वारा न्यायालय में दिये गये अखण्डित साक्ष्य एवं घटना घटित होने के न्यायालीन कथनों में बताये गये कारण की पुष्टि प्र0पी0—01 की रिपोर्ट व साक्षी राजपाल (अ0सा0—03) के कथनों से हो जाने से इस संबंध में इस बात पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नही रह जाता है कि घटना दिनांक को जब अभियुक्तगण के घर पर फरियादी जीवन सिंह (अ0सा0—02) कुऐ में सर्प मर जाने के कारण कुऐ का पानी साफ करने के लिये कहने गया था, तो मौके पर अभियुक्तगण ने घर के सामने ही फरियादी के साथ घटना कारित की थी।
- 09—जीवन सिंह (अ0सा0—02) ने घटना स्थल के संबंध में भी अखण्डित साक्ष्य देते हुये घटना स्थान का अभियुक्तगण के घर के बाहर का होना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—03 में यह बताया है कि घटना के समय वह अभियुक्तगण के घर के बाहर में रास्तें खडा था। जीवन सिंह (अ0सा0—02) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में घटना का जो स्थान बताया गया है कि उसकी पुष्टि अनुसंधानकर्ता अधिकारी बी. एन. मिश्रा (अ0सा0—06) के द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान स्वयं जीवन सिंह (अ0सा0—02) के निशानदेही पर तैयार किये गये नक्शा मौका प्र.पी.—02 में चिहित घटना स्थल से होती है।

- 10—जीवन सिंह (अ0सा0—02) का कहना है कि दयाराम को जब वह बुलाने के लिये घर पर गया था तो दयाराम ने उसे मात्र मां की गाली दी थी, जबकि अभियुक्त राजू जो कि दयाराम भतीजा है, ने उसके सिर पर लाठी मार दी थी, जिससे उसके सिर में सात टांके आये थे। घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में जण्डेल सिंह (अ0सा0—01) व राजपाल (अ0सा0—03) के कथन अभियोजन ने अपने समर्थन में कराये हैं, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने पूरी तरह से अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है।
- 11—जण्डेल सिंह (अ०सा०—01) का कहना है कि घटना के समय रात्रि 10:00 बजे वह भूरा की बैठक चबूतरा पर बैठा था तथा उसके साथ गजराज महादेव, जहार, राजपाल भी थे, तो जीवन सिंह उनके पास आया था और यह बताया था कि अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की है। जण्डेल सिंह (अ०सा०—01) का कहना है कि उसने जीवन सिंह के सिर से खून निकलते हुये देखा था, जिसके बाद वह उसका इलाज कराने के लिये टैक्टर से चंदेरी ले गया था। जीवन सिंह (अ०सा०—02) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—02 में भी यह कथन दिये है कि फरियादी जीवन सिंह के बाये हाथ की ढड़ा में चोट देखी थी। अतः जण्डेल सिंह (अ०सा०—01) के अनुसार उसके सामने कोई घटना नहीं हुई और नहीं उसने अभियुक्तगण को फरियादी के साथ मारपीट करते हुये देखा था बल्कि स्वयं फरियादी जीवन सिंह (अ०सा0—02) ने उसे आकर घटना के बारे में बताया था।
- 12—जण्डेल सिंह (अ०सा0—01) घटना के समय राजपाल (अ०सा0—03) को अपने साथ में भूरा के चबूतरे पर बैठना बताता है, परन्तु राजपाल (अ०सा0—03) ने अपने न्यायालीन कथनों में जण्डेल सिंह (अ०सा0—01) के कथनों के विरूद्ध न्यायालय में कथन दिये है कि घटना के समय शाम 06:30 बजे वह अकेला अपने खेत से जब घर जा रहा था, तो उसने रास्ते में जीवन सिंह और दयाराम का आपस में झगडा होते हुये देखा था। अतः राजपाल (अ०सा0—03) के अनुसार घटना के समय वह जण्डेल सिंह (अ०सा0—01) के साथ नहीं था बल्कि खेत से अपने घर आ रहा था।
- 13—राजपाल (अ०सा0—03) के संबंध में स्वयं जीवन सिंह (अ०सा0—02) का कहना है कि हाटना के बाद उसे राजपाल (अ०सा0—03) रास्ते में मिला था, जिसे उसने घटना के बारे में बताया था। राजपाल (अ०सा0—03) ने अपने कथनों में जीवन सिंह (अ०सा0—02) के कथनों की पुष्टि करते हुये, यह स्पष्ट किया है कि खेत से घर से आते समय रास्ते में उसने दयाराम और जीवन सिंह का झगडा होते हुये देखा था तथा उनके बीच गाली—गलौच हो रही थी, इस साक्षी का यह भी कहना है कि जीवन सिंह के सिर से खून निकल रहा था तथा जिसके संबंध में जीवन सिंह से पूछने पर जीवन सिंह ने उसे ही बताया था कि राजू ढीमर ने उसे सिर में मार दिया। राजपाल (अ०सा0—03) के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट किया गया है कि उसके सामने झगडा और गाली—गलौच नहीं हुआ था तथा जब जीवन सिंह ने उसे रास्ते में घटना के बारे में बताया था, तो वहां पर कोई नहीं था।

- 14—अतः अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जण्डेल सिंह (अ०सा0—01) व राजपाल (अ०सा0—03) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के विरूद्ध अपने सामने अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी के साथ कोई घटना कारित न करना बताया है,बल्कि इन दोनों ही साक्षियों के अनुसार उन्हें घटना के बारे में स्वयं फरियादी जीवन सिंह (अ०सा0—02) ने घटना के बाद उन्हें बताया था, जिससे अभियुक्तगण ने वास्तव में फरियादी के साथ गाली—गलौच व मारपीट की घटना कारित की, इस संबंध में इन दोनों ही साक्षियों की साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य है।
- 15—यह उल्लेखनीय है कि जण्डेल सिंह (अ०सा०—01) व राजपाल (अ०सा०—03) ने भले ही घ ।टना अपने सामने घटित न होना बताया हो तथा घटना की जानकारी फरियादी जीवन सिंह (अ०सा०—02) के द्वारा उन्हें देना बताया हो, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने इस संबंध में यह स्पष्ट कथन दिये है कि उन्होने फरियादी के सिर से घटना के बाद खून निकलते हुये देखा था तथा स्वयं फरियादी जीवन सिंह (अ०सा०—02) का भी यह कहना है कि उसके सिर पर राजू ढीमर ने लाठी मारी थी, तो सात टांके आये थे। अतः घटना के बाद यदि जण्डेल सिंह (अ०सा०—01) व राजपाल (अ०सा०—01) ने फरियादी को घायल अवस्था में सिर में खून निकलता हुआ देखा था तो इस संबंध में इन साक्षियों के द्वारा दिये गये कथन साक्ष्य में गाहय है भले ही ये साक्षी घटना के अनुश्रुत साक्षी है।
- 16—चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर खरका (अ०सा०—०५) ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि दिनांक 09.07.13 को थाना चदेंरी आरक्षक अशफाक के द्वारा फरियादी जीवन सिंह (अ०सा०—०२) को चिकित्सीय परीक्षण के लिये लाया गया था तथा चिकित्सीय परीक्षण में उन्होंने भी फरियादी सिर के मध्य भाग में आगे की ओर फटा हुआ घाव की चोट 4 गुणित 0.25 से.मी. गुणित खाल की गहराई तक पाई थी तथा दूसरी चोट दाई अग्र भुजा के उपरी भाग में नीलगू निशान के रूप में पाई थी। डॉक्टर खरका (अ०सा०—०५) के अनुसार आहत सुबह 03:50 बजे चिकित्सीय परीक्षण के लिये लाया गया था तथा जो चोटें उसके शरीर पर पाई थी, वह 24 घण्टे के अंदर की थी।
- 17—जण्डेल सिंह (अ0सा0—01) व राजपाल (अ0सा0—03) ने फरियादी के सिर पर घटना के बाद खून निकलना देखना बताया है तथा स्वयं फरियादी जीवन सिंह (अ0सा0—01) के द्वारा इस संबंध में स्पष्ट कथन दिये है कि अभियुक्त राजू ने उसके सिर पर लाठी से चोट पहुचाई थी। डॉक्टर खरका (अ0सा0—05) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनो की पुष्टि चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत तैयार की गई रिपोर्ट प्र0पी—04 से भी होती है तथा डॉक्टर खरका (अ0सा0—05) के कथनों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि घटना में फरियादी के सिर पर निश्चित रूप से किसी कठोर व सख्त वस्तु से उपहित कारित की गई थीं।
- 18—अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह पूरी तरह से विश्वसनीय प्रतीत होता है कि फरियादी के सिर में डॉक्टर एम. एल. खरका (अ०सा0—05) के द्वारा जो फटे हुये घाव की चोट व दाई अग्र भूजा में नीलगू निशान की जो चोटें पाई गई थी, वो फरियादी के साथ

हुई मारपीट का परिणाम थी। घटना के संबंध में भले ही साक्षी जण्डेल सिंह (अ०सा0–01) व राजपाल सिंह (अ०सा0–03) ने अभियोजन घटना का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया हो, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने इस बात की पुष्टि की है कि घ । टना के बाद उन्होंने फरियादी जीवन सिंह के सिर में चोट होकर खून निकलते हुये देखा था।

- 19—निश्चित रूप से घटना के समय व दिनांक को लेकर फरियादी जीवन सिंह (अ०सा0—02) के कथन स्पष्ट नहीं है, परन्तु फरियादी ने अपने कथनों में ही घटना सावन के महीने की होना तथा घटना का समय शाम को होना बताया हैं। फरियादी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है अतः ऐसे में ग्रामीण परिस्थितियों में किसी ग्रामीण के घटना के लगभग 4—5 वर्ष के बाद घटना की सही दिनांक व समय बताने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में केवल साक्षी के द्वारा अनुमान के आधार पर दिये गये कथनों से ही उसकी साक्ष्य का माप किया जा सकता है।
- 20—फरियादी जीवन सिंह (अ०सा0—02) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना को प्रमाणित करते हुये यह स्पष्ट अखण्डित साक्ष्य दी है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण के घर पर जब रात्रि के समय वह कुंऐ में सर्प मर जाने के कारण कुंऐ का पानी साफ करने के लिये कहने गया था तो अभियुक्तगण ने उसके साथ गाली—गलौच की थी तथा इसी घटना में अभियुक्त राजू ने फरियादी के सिर में लाठी मार कर उसे उपहित कारित की थीं। घटना स्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति व फरियादी को उपहित कारित करने मौके पर आपसी सहमित उनका फरियादी को उपहित करने का सामान्य आशय दर्शित करती है।
- 21—जीवन सिंह (अ०सा0—02) ने अभियुक्त राजू के द्वारा उसे सिर में लाठी मारना बताया है, जबिक प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में लुहांगी का उल्लेख किया गया है। लाठी और लुहांगी में मामूली अंतर मात्र लाठी के ऊपरी भाग पर लगे हुये लोहे की छल्ले का होता है। अतः जीवन सिंह (अ०सा0—02) के द्वारा घटना में अभियुक्त राजू के द्वारा लुहांगी के स्थान पर लाठी से मारपीट करने बताने से उत्पन्न हुआ विरोधाभास तात्विक स्वरूप का नहीं है। लाठी या लुहांगी की जप्ती प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी बी. एन. मिश्रा (अ०सा0—06) के द्वारा प्रकरण की विवेचना में नहीं की गई है।
- 22—घटना में प्रयुक्त लाठी या लुहांगी सर्वप्रथम तो असन काटन या बेदन के उपकरण की श्रेणी में नही आती हैं, वहीं क्योंकि लाठी या लुहांगी प्रकरण में जप्त नही की गई है, इसलिए यह भी निर्धारित नही किया जा सकता है कि जिस लाठी का प्रयोग अभियुक्त राजू के द्वारा किया गया है वह उस आकार प्रकार की थी, जो यदि आक्रमक आयुद्ध के रूप में उपयोग में लाई जाती तो उससे मृत्यु कारित होना सभाव्य था।

23—अतः ऐसे में अभियुक्त राजू के द्वारा फरियादी जीवन सिंह (अ0सा0—02) के द्वारा लाठी मारपीट कर उपहित कारित करने का कृत्य भा.द.वि. की धारा 324 की परिधि में न आकर भा.द.वि. की धारा 323 की परिधि में आता है और चूंकि अभियुक्तगण का फरियादी को उपहित कारित करने का सामान्य आशय होना प्रमाणित है और उक्त आशय के अग्रसरण में ही फरियादी को उपहित कारित की गई है, इसलिए अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 324/34 के स्थान पर 323/34 के आरोप प्रमाणित होते है।

विचारणीय प्रश्न कमाक-02, 03 व 04 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 24—फरियादी जीवन सिंह (अ०सा0—01) का अपने न्यायालीन कथनों में मात्र यह कहना है कि अभियुक्त दयाराम ने उसे मां की गाली दी थी तथा राजपाल (अ०सा0—03) भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्त दयाराम व फरियादी जीवन के मध्य गाली—गलौच होते हुये देखना बताता है, परन्तु अभियुक्त दयाराम ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किये वास्तव में उच्चारित शब्द से फरियादी को क्षोभ कारित हुआ इस आशय की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, मात्र गालियों को उच्चारण किसी भी झगडे में भा.द.वि. की धारा 294 के अपराध का गठन नहीं करता है, जब तक की यह साबित न कर लिया जाये कि उच्चारित किये गये अश्लील शब्द लोक स्थान या उसके आसपास उच्चारित किये गये तथा उनके उच्चारण से किसी को कोई क्षोभ कारित हुआ हो।
- 25—अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि वास्तव में अभियुक्तगण ने कौन सी गालिया फरियादी को दी ओर न ही फरियादी ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि वास्तव में उसे कोई क्षोभ कारित हुआ। जिससे साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294 के आरोप प्रमाणित नहीं होते है। फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये है कि अभियुक्तगण ने घाटना में फरियादी को जाने से मारने की धमकी दी थी। अतः साक्ष्य के अभाव में यह भी प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 26—अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 08.07.2013 को समय रात्री 08:00 बजे काशीराम ढीमर के मकान के सामने ग्राम नानकपुर में लोक स्थान पर फरियादी जीवन सिंह को मां—बहन की अश्लील गालिया उच्चारित कर उसे क्षोभ कारित किया व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राश कारित किया व असन भेदन व काटने के उपकरण से उपहित कारित की, परन्तु अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी जीवन सिंह को मारपीट/उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छया उपहित कारित किया।

- 27—फलतः अभियुक्तगण दयाराम पुत्र किशोर ढीमर एवं राजू पुत्र असुददी ढीमर के विरूद्ध भा०द०वि० की 324/34 के स्थान पर भा.द.वि. की धारा 323/34 के आरोप प्रमाणित होने से उन्हें भा०द०वि० की धारा 323/34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त दयाराम पुत्र किशोर ढीमर एवं राजू पुत्र असुददी ढीमर के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 294, 506 बी के आरोप साबित न होने से उन्हें भा०द०वि० की धारा 294, 506 बी के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 28—अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 29—दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नही है तथा वह ग्रामीण व्यक्ति है। फरियादी को भी कोई गंभीर उपहित कारित नहीं हुई है। अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है, इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। अभिलेख पर आई मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में फरियादी को किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट घटना में नहीं आई हैं। अभियुक्तगण का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अतः प्रकरण में परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दिण्डत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दिण्डत कर न्याय के उददेश्य की पूर्ति हो सकती है।
- 30—अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्त दयाराम पुत्र किशोर ढीमर एवं राजू पुत्र असुददी ढीमर को भा०दं०वि० की धारा 323/34 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000—1000/— रूपये (एक हजार—एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 3—3 दिवस (तीन—तीन दिवस) का पृथक—पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।

(9) <u>दांडिक प्रकरण क.-343 / 2013</u>

31—अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)